न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–252/2026
अलौली थाना काण्ड सं0–323/24
सरविन्द यादव एवं अन्य – बनाम् – राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
खगड़िया।

11.03.2026

आवेदक/अभियुक्तगण–**1. सरविन्द यादव, 2. डोमन यादव एवं 3. शम्भु यादव** की ओर से अलौली थाना काण्ड सं0–323/24, धारा–191(2), 126(2), 115(2), 110, 303(2), 76, 352, 351(2) BNS के अन्तर्गत दर्ज मामले में गिरफ्तारी की आशंका के अधीन दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो शपथ–पत्र से समर्थित है, को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री रविन्द्र प्रसाद की ओर से संचालित किया गया।

अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि आवेदकगण पूर्णतः निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है तथा उनका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्राथमिकी धारा–110 BNS को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय है, जो आवेदकगण के विरूद्ध आकर्षित नहीं होता है। उभय पक्ष के बीच वाद एवं प्रतिवाद दर्ज है। पूर्व में अन्य सह–अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन सं0–131/26 में अग्रिम जमानत एवं जमानत आवेदन सं0–76/26 में नियमित जमानत प्रदान किया गया है तथा आवेदकगण यह मामला भी समान प्रकृति का है। आवेदकगण कानून का पालन करने वाला नागरिक हैं तथा फरार नहीं होंगे। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

सूचिका के टंकित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 09.08.2024 को समय करीब सुबह 7 बजे सूचिका अपने जमीन पर टाट लगी रही थी

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–252/2026
अलौली थाना काण्ड सं0–323/24

लगातार
11.03.2026

कि उसी समय डोमन यादव, सज्जन यादव, बेबी देवी, शंभु यादव, गिरीश यादव उर्फ इंगलीश, ललिता देवी, उषा देवी, भागवत यादव, शोभा देवी, अरविन्द यादव, संजू देवी, प्रशांत यादव एवं सरविन्द यादव, सभी आकर जबरन मुझे रोकते हुए गाली–गलौज करने लगा। मना करने पर सबों ने सूचिका एवं उसके भाई अजय यादव के ऊपर ईट–रोड़ा चलाने लगा। बीच बचाव करने के लिए पड़ोस के कैलाश यादव आये तो शोभा देवी ने जान से मारने के नियत से लोहे के रड से सिर पर प्रहार किया, जिससे उनका सिर फट गया, उसी दौरान सज्जन यादव सूचिका से नकद 5,000 रूपया छीन लिया। बेबी देवी और शंभु यादव सूचिका के भाई अजय यादव के सिर पर ईंट से मारा, सिर फट गया। गिरीश यादव ने गलत नियत से सूचिका की भाभी संजीता देवी का बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और ब्लाउज फाड़ दिया और छाती पर मुक्का से मारने लगा। उषा देवी और ललिता देवी संजीता देवी को लात–मुक्का और ईट–रोड़ा से खूब मारी और उसी दौरान गले से सोने की चकती 8 आना, कीमत तीस हजार रू0 प्रशांत यादव ने छीन लिया। अरविन्द यादव, अजय के गले से सोने का चेन, 01 भर कीमत, साठ हजार रू0 छीन लिया। भागवत यादव, सरविन्द यादव और डोमन यादव ने बोला कि एक लाख रूपया रंगदारी टैक्स पहुँचा देना नहीं तो परिवार समेत जान से मार देंगे।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में आवेदकगण सहित अन्य सह–अभियुक्तों के विरूद्ध ऊपरी अंकित धारओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। आवेदकगण इस काण्ड का नामित अभियुक्त हैं। उभय पक्ष के बीच पैतृक भूमि को लेकर विवाद है तथा दोनों पक्षों के बीच वाद एवं प्रतिवाद दर्ज है। प्राथमिकी दो दिनों के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई उचित कारण नहीं बताया गया है। जमानत आवेदन के पारा–3 के अनुसार, आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–252/2026
अलौली थाना काण्ड सं0–323/24

लगातार
11.03.2026

इतिहास नहीं है। जान मारने एवं लज्जा भंग करने का आशय प्रतीत नहीं होता है। पूर्व में अन्य सह–अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा नियमित एवं अग्रिम जमानत प्रदान किया गया है, ऐसी दशा में आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण को आदेश प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर विचारण न्यायालय में आत्मसर्मपण करने अथवा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर अन्तर्गत धारा–482(ii) BNSS के तहत निर्धारित शर्तो का पालन करते हुए मो0–10,000/–(दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं विद्वान् विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक अभियुक्तगण का दोनों जमानतदार उनके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	11.03.26
Date of Reserving Judgement/Order	——
Uploading Date	16.03.26
Uploading by	Alisha Kumari (D.E.O)